

# Order Sheet [Contd]

Case No 124 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10-04-2017	<p>आवेदकगण/आरोपीगण सीताराम, कलियान, महेश व लवकुश सहित श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता। आरोपीगण ने अपने आपको न्यायालय की अभिरक्षा में समर्पित किया।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप0क0 238/16 धारा 459, 294, 323, 506, 34 भा0दं0वि0 की केश डायरी प्रस्तुत किन्तु डायरी के साथ जमानत आवेदनपत्र के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं।</p> <p>आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से अधि. श्री आर.पी.एस. गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय के द्वारा आवेदकगण का अग्रिम जमानत स्वीकार कर सक्षम न्यायालय में जमानत पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसके पालन में वर्तमान आवेदनपत्र पेश किया गया है। आवेदकगण कस्बा गोहद के स्थाई निवासी है जिनके फारर होने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वह नियमित जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को उचित नियमित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों का अत्यधिक बल दिया है कि आरोपीगण भिण्ड जिले के स्थाई निवासी है और उनकी चल अचल सम्पत्ति भिण्ड जिले में है, उनके भागरक कहीं जाने की संभावना नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एम.सी.आर.सी क्रमांक 1745/17 में पारित आदेश दिनांक 03.04.17 के आलोक में</p>	

आरोपीगण को नियमित प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण में आरोपीगण पर फरियादी पक्ष के साथ घर में घुसकर लाठियों से मारपीट करने का आरोप है। केश डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में अनुसंधान लगभग पूर्ण हो चुका है एवं अभियोगपत्र प्रस्तुत करना शेष रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने एम. सी.आर.सी. क्रमांक 1745/17 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2017 के द्वारा आरोपीगण को पूर्व धाराओं के साथ भा.द.वि की बढाई धारा 459 अथवा 325 में भी अग्रिम प्रतिभूति पर आरोपीगण को पूर्व की तरह प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं।

अतः प्रकरण की परिस्थिति एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि यदि आरोपीगण अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य 25,000/- रूपए की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिबंधपत्र निम्न आशय का प्रस्तुत करें तो उन्हें इस प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नियमित प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

1. आरोपीगण विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेंगे।
2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे।
3. प्रकरण के त्वरित निराकरण में सहयोग करेंगे।
4. जैसा अभियोग है वैसा अपराध नहीं करेंगे।

आरोपगण को आदेश की प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकारित रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।  
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)